मध्यप्रदेश शासन

श्रम विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्र. एफ-58/595/2019/ए-16, भोपाल, दिनांक 20/06/19

प्रति,

1. संभागायुक्त (समस्त)।
2. श्रमायुक्त, म.प्र. इंदौर।
3. जिला कलेक्टर (समस्त)।
4. आयुक्त नगर निगम (समस्त)।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त)।

विषय:-श्रम विभाग अंतर्गत म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन के संबंध में।

----00----

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना एवं म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत लाभ कतिपय अपात्र व्यक्तियों द्वारा भी उठाया जा रहा है एवं पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित रहे है, अतएव शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, एक अभियान चलाया जाकर अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जावे ताकि वास्तविक पात्र व्यक्ति ही योजना से लाभान्वित हो सके। वर्तमान में जिलावार निर्माण श्रमिक एवं संबल के अंतर्गत् पंजीकृत कर्मकारों की जानकारी परिशिष्ट "C" और "D" में संलग्न है।

2/- म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण योजनांतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के सत्यान हेतु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतवार, वार्डवार पंजीकृत हितग्राहियों की सूची (सूची श्रम सेवा पोर्टल से प्रिंट ली जाकर) का डोर टू डोर सत्यापन कराया जावे। प्रत्येक पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र) में सचिव एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी, सत्यापन कार्य करेंगे वे संबंधित पंचायत/वार्ड के नोडल अधिकारी होंगे।

3/- निर्धारित प्रपत्र (संलग्न "A" और "B") की गूगल शीट पर प्रतिदिन प्रविष्टि संबंधित निकाय स्तर से की जायेगी।

4/- प्रत्येक दिवस किए गए सत्यापन के उपरांत पाए गए अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने की कार्यवाही अगले दिवस को नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी एवं पोर्टल पर भी अद्यतन करना होगी। इस हेतु संबंधित निकाय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा योजना की पात्रता - अपात्रता के मापदण्डों/शर्तों/अर्हताओं इत्यादि के प्रपत्र तैयार कर सचिव/वार्ड प्रभारियों को दिए जावे, ताकि अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने की प्रक्रिया तत्काल की जा सके।

Scanned with CamScanner

5/- अभियान में सत्यापन के दौरान सूची में ऐसे पात्र हितग्राही जिनके आधार नं. उपलब्ध नहीं है उनके आधार नं. भी प्राप्त किए जाकर पोर्टल पर अद्यतन किए जावें।

जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय, जनपद स्तर/निकाय स्तर, पंचायत/वार्ड स्तर के नोडल की नियुक्ति की जावे एवं कंट्रोल रूम स्थापित किया जाकर प्रतिदिन के सत्यापन कार्य का अनुवीक्षण एवं जानकारी अद्यतन करवाई जावे।

"इस अभियान में मुख्यमंत्री जनकल्याण योजनांतर्गत भी अपात्र पंजीकृत व्यक्तियों के नाम हटाने की कार्यवाही इसी अवधि में की जावे।"

विभागीय श्रम निरीक्षक एवं श्रम पदाधिकारी एवं सहायक श्रम आयुक्त अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्य की दैनिक निगरानी भी करेंगे और यह सुनिश्चित करें कि विभाग के श्रम-सेवा पोर्टल पर अद्यतन प्रविष्टियाँ हैं।

उपर्युक्त अनुसार सत्यापन अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक की अवधि में सम्पन्न किया जावे।

(अशोक शाह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग

पृ.क्र. 1584/595/2019/ए-16, भोपाल, दिनांक 29/06/19

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म.प्र. शासन, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय।
3. सचिव, म.प्र. शासन, माननीय मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
4. सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय।
5. सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं आवास विकास विभाग, मंत्रालय।
6. समस्त संभागयुक्त की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. श्रमायुक्त, म.प्र. इंदौर की ओर राज्य स्तरीय नोडल होंगे, राज्य स्तर से समस्त जिलों का अनुवीक्षण किया जावे एवं जानकारी शासन को प्रेषित की जावे।
8. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
9. आयुक्त नगर निगम (समस्त)।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (समस्त)।
11. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. सचिव, म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned with CamScanner

प्रपत्र-"B"

मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना
में पंजीयन
निरस्त किये गये अपात्र श्रमिकों की संख्या/जानकारी
जिला......... ....

वर्ग	पंचायत/निकाय का नाम	ग्राम पंचायत/वार्ड		दर्ज श्रमिक संख्या	निरसित अपात्र पाए गए श्रमिकों की सख्या।	अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने के बाद पोर्टल पर अद्यतन संख्या	अपात्रता का संक्षिप्त विवरण
1	2	3		4	5	6	7
शहरी	नगरीय निकाय का नाम	वार्ड कमांक					
	1.	1					
		2					
	निकाय का योग	3					
	2.						
	निकाय का योग						
	जिले का कुल योग						
ग्रामीण	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम					
	1.	1					
		2					
	जनपद का योग	3					
	2.						
	जनपद का योग						
	जिले का कुल योग						

Scanned with CamScanner

कार्यालय उपश्रमायुक्त
म.प्र.असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल
'ई' ब्लॉक पुराना सचिवालय भोपाल,
E-Mail:- uwwboard@mp.gov.in

क्रमांक/ 2180 /श्रमवि/2019/ भोपाल, दिनांक 27/3/19

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर
मध्य प्रदेश।

विषयः- मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना, 2018 के अन्तर्गत आधार कार्ड की अनुपलब्धता के कारण अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृति हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

-0-

विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना, 2018 के अन्तर्गत आधार कार्ड की अनुपलब्धता के कारण अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि के प्रकरण स्वीकृति एवं अनुमोदन हेतु प्रमुख सचिव, श्रम को प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रकिया में हिताधिकारियों को मिलने वाली सहायता राशि समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है।

अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता के प्रकरणों जिसमें हितग्राहियों के पास आधार कार्ड नहीं है, के संबंध में संबंधित कलेक्टर अपने- अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निर्णय लेने में सक्षम हैं। अतः बिना आधार कार्ड के प्रस्तुत प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु समस्त कलेक्टर्स को अधिकृत किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों का परीक्षण कर वे अपने स्तर पर उचित निराकरण करें।

(प्रमुख सचिव, श्रम, महोदय द्वारा अनुमोदित)

27/3/19

(एस.एस.दीक्षित)
उपश्रमायुक्त, भोपाल

पृ. क्रमांक/ 2181-2182/श्रमवि/2019/ भोपाल, दिनांक 27/3/19

प्रतिलिपि :-

1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, भोपाल, की ओर सादर सूचनार्थ।

2. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

(एस.एस.दीक्षित)
उपश्रमायुक्त भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्र. [illegible] 595/2019/ए-16.

भोपाल, दिनांक 20/06/19

प्रति

1. संभागायुक्त (समस्त)।
2. श्रमायुक्त, म.प्र. इंदौर।
3. जिला कलेक्टर (समस्त)।
4. आयुक्त नगर निगम (समस्त)।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त)।

विषय:-श्रम विभाग अंतर्गत म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन के संबंध में।

----00----

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना एवं म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत लाभ कतिपय अपात्र व्यक्तियों द्वारा भी उठाया जा रहा है एवं पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित रहे है, अतएव शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, एक अभियान चलाया जाकर अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जावे ताकि वास्तविक पात्र व्यक्ति ही योजना से लाभान्वित हो सके। वर्तमान में जिलावार निर्माण श्रमिक एवं संबल के अंतर्गत् पंजीकृत कर्मकारों की जानकारी परिशिष्ट "C" और "D" में संलग्न है।

2/- म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण योजनांतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के सत्यान हेतु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतवार, वार्डवार पंजीकृत हितग्राहियों की सूची (सूची श्रम सेवा पोर्टल से प्रिंट ली जाकर) का डोर टू डोर सत्यापन कराया जावे। प्रत्येक पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र) में सचिव एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी, सत्यापन कार्य करेंगे वे संबंधित पंचायत/वार्ड के नोडल अधिकारी होंगे।

3/- निर्धारित प्रपत्र (संलग्न "A" और "B") की गूगल शीट पर प्रतिदिन प्रविष्टि संबंधित निकाय स्तर से की जायेगी।

4/- प्रत्येक दिवस किए गए सत्यापन के उपरांत पाए गए अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने की कार्यवाही अगले दिवस को नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी एवं पोर्टल पर भी अद्यतन करना होगी। इस हेतु संबंधित निकाय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा योजना की पात्रता - अपात्रता के मापदण्डों/शर्तों/अर्हताओं इत्यादि के प्रपत्र तैयार कर सचिव/वार्ड प्रभारियों को दिए जावे, ताकि अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने की प्रक्रिया तत्काल की जा सके।

5/- अभियान में सत्यापन के दौरान सूची में ऐसे पात्र हितग्राही जिनके आधार नं. उपलब्ध नहीं है उनके आधार नं. भी प्राप्त किए जाकर पोर्टल पर अद्यतन किए जाये।

जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय, जनपद स्तर/निकाय स्तर, पंचायत/वार्ड स्तर के नोडल की नियुक्ति की जावे एवं कंट्रोल रूम स्थापित किया जाकर प्रतिदिन के सत्यापन कार्य का अनुवीक्षण एवं जानकारी अद्यतन करवाई जावे।

"इस अभियान में मुख्यमंत्री जनकल्याण योजनांतर्गत भी अपात्र पंजीकृत व्यक्तियों के नाम हटाने की कार्यवाही इसी अवधि में की जावे।"

विभागीय श्रम निरीक्षक एवं श्रम पदाधिकारी एवं सहायक श्रम आयुक्त अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्य की दैनिक निगरानी भी करेंगे और यह सुनिश्चित करें कि विभाग के श्रम-सेवा पोर्टल पर अद्यतन प्रविष्टियाँ हैं।

उपर्युक्त अनुसार सत्यापन अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक की अवधि में सम्पन्न किया जावे।

(अशोक शाह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग

पृ.क्र. 754/595/2019/ए-16, भोपाल, दिनांक 2.07.19

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म.प्र. शासन, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय।
3. सचिव, म.प्र. शासन, माननीय मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
4. सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय।
5. सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं आवास विकास विभाग, मंत्रालय।
6. समस्त संभागयुक्त की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. श्रमायुक्त, म.प्र. इंदौर की ओर राज्य स्तरीय नोडल होंगे, राज्य स्तर से समस्त जिलों का अनुवीक्षण किया जावे एवं जानकारी शासन को प्रेषित की जावे।
8. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
9. आयुक्त नगर निगम (समस्त)।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (समस्त)।
11. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. सचिव, म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग

शासकीय

परिपत्र क्रमांक-......15

मध्य प्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/अशग्रा/स्था/2018/ 739 - 746 भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2018

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम,
   मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत,
   मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत,
   मध्यप्रदेश।
7. समस्त सहायक श्रमायुक्त,
   मध्यप्रदेश।

विषयः- मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना, 2018 के संबंध में दिशा निर्देश।
संदर्भः- इस विभाग का परिपत्र कमांक 589/पीएस/श्रम/2018 दिनाँक 29/05/2018.

--00--

1. उक्त विषयक संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा प्रदेश के असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे।

2. मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के अन्तर्गत संचालित अन्त्येष्टि सहायता योजना में पात्रता के संबंध में आंशिक परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। तदानुसार उक्त संदर्भित पत्र में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-

संशोधन कमांक-1,

कण्डिका कमांक-4 को कण्डिका कमांक-4.1 पढ़ा जावे।

संशोधन कमांक-2,

कण्डिका कमांक-4.1 के बाद कण्डिका कमांक 4.2 निम्नानुसार स्थापित की जाती है :-

(4.2) पंजीकृत श्रमिक के परिवार के किसी सदस्य अथवा उसके आश्रित माता-पिता, जहाँ वह पृथक से पंजीकृत श्रमिक नहीं है, की मृत्यु होने पर पंजीकृत श्रमिक को उनकी अन्त्येष्टि के लिए रूपये 5000.00 की सहायता दी जावेगी।

संशोधन कमांक–3,

कण्डिका कमांक 5.9 के उपरान्त कण्डिका कमांक 5.10 निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है:–

(5.10) कण्डिका कमांक 5.1 से 5.9 में निर्धारित प्रकिया के अनुरूप ही कण्डिका कमांक 4.2 में उल्लिखित मृत्यु के प्रकरण में अन्त्येष्टि सहायता की राशि पंजीकृत श्रमिक को दी जावेगी।

संशोधन कमांक–4,

संदर्भित परिपत्र में परिशिष्ट–1, जिसमें अन्त्येष्टि सहायता के अन्तर्गत पंचनामा का प्रारूप संलग्न किया गया है में निम्नानुसार नोट जोड़ा जाता है:–

नोटः– कण्डिका कमांक–4.2 के अन्तर्गत मृत्यु के प्रकरण में पंचनामा के सरल कमांक–3 पर अंकित मृतक के पंजीयन कमांक के स्थान पर पंजीयत श्रमिक, जिसके परिजन की मृत्यु पर सहायता राशि दी जाना है, का पंजीयन कमांक अंकित किया जावे।

(संजय दुबे)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग

पृष्ठांकन कमांक/ अशग्रा/स्था /2018/ 739-746 भोपाल, दिनांक/05 जून 2018

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. विषेष सहायक, मान0 मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन,भोपाल।
4. श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेषक राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, सी–विंग, बेसमेंट विध्यांचल भवन, भोपाल।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग

परिपत्र-क्र-17

मध्यप्रदेश शासन

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांकः41/PS/PA/श्रम/2018 भोपाल, दिनांक30 जुलाई,2018

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
   मध्य प्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर,
   मध्य प्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, मध्य प्रदेश।
4. समस्त आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगरीय निकाय, मध्य प्रदेश।
5. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधिकारी
   मध्यप्रदेश

विषयः- असंगठित श्रमिक रूप में पंजीयन हेतु परिवार के सदस्यों की पात्रता के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषय में उल्लेख है कि ऐसे व्यक्ति जो शासकीय सेवा में हों या आयकर दाता हों या जिसके पास 2.5 एकड़ से अधिक भूमि हो, असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन की पात्रता नहीं रखता है।

उपरोक्त के साथ यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि :-

1. पति अथवा पत्नी के शासकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों ही असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
2. पति अथवा पत्नी आयकर दाता हैं तो दोनों ही असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
3. पति अथवा पत्नी यदि 2.5 एकड़ से अधिक भूमि धारित करते हैं तो दोनों ही असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

असंगठित श्रमिकों के पंजीयन, हितलाभ वितरण तथा योजना के क्रियान्वयन में उपरोक्त पात्रता को ध्यान में रखा जाना सुनिश्चित करें।

(संजय दुबे)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, श्रम विभाग

पृ.क्रमांक/42/श्रमवि/2018 भोपाल, दिनांक 30/7/18

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
2. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर ।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(संजय दुबे)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, श्रम विभाग

मध्यप्रदेश शासन

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

क्रमांक 100/ 56-/ 45/ 18 भोपाल, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

राज्य शासन व्दारा अपने आदेश क्रमांक 589/पी.एस./श्रम/2018 दिनांक 29.05.2018 द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के अंतर्गत ऐसे असंगठित श्रमिक जो एक हेक्टेयर से कम भूमि धारित करते हों तथा शासकीय सेवा में कार्यरत न हों तथा आयकरदाता न हों, पात्र होंगे। राज्य शासन इस योजना में ऐसे समस्त शासकीय मंदिरों के पुजारियों/सेवादारों को मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के अंतर्गत पात्रता में सम्मिलित करता है, जिनको शासन द्वारा मंदिरों के रख-रखाव हेतु एक हेक्टेयर से कम भूमि प्रदान की गई हो। ऐसे समस्त पुजारी/सेवादार आयकरदाता अथवा शासकीय सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

5/10

(संजय दुबे)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग

पृष्ठां. क्रमांक 101/ 56-/ 45/ 18 भोपाल, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
7. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर।
8. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. सचिव मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।
10. जनसंपर्क आयुक्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5/10/18

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग